अत्यावश्यक/आज ही

राजस्थान सरकार

देवस्थान विभाग

क्रमांक: प. 4(16)देव/2019 **जयपुर, दिनांकः** 18/10/19

आदेश

मुख्य सचिव महोदय के अशा.टीप सं. सीएसओ/पीएमसी/08/2019 दिनांक 11.10.2019 के निर्देशों की अनुपालना में प्रत्येक माह की 05 तारीख को, यदि 05 तारीख को अवकाश हो तो, उसके अगले कार्य दिवस को, विभाग के कार्यों, बजट घोषणाओं, जन घोषणा के बिन्दु , विभिन्न धार्मिक स्थलों/मन्दिर में चल रहें जीर्णोद्धार, मरम्मत, विकास एवं निर्माण कार्य, योजनाएं, लाईटस्, रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही, माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक एवं जनप्रतिनिधिगण के पत्रों पर कार्यवाही, मुख्यमंत्री सूचना तंत्र (सी.एम.आई.एस.), शिकायतें एवं विभाग में चल रहें अन्य महत्वपूर्ण कार्यों/बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही/प्रगति की मासिक समीक्षा शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव, देवस्थान विभाग के स्तर पर की जाऐगी।

अत: सभी संबंधित अधिकारी/कार्मिकों/प्रकरण लिपिकों को निर्देशित किया जाता है कि उनको आवंटित कार्यों की आदिनांक प्रगति/तथ्यात्मक स्थिति प्रत्येक माह के अन्त में तैयार कर, निम्नांकित बिन्दुओं के प्रासंगिक मुख्यमंत्री सूचना तंत्र पर अद्यतीत सूचना/प्रगति दर्ज कर, मासिक समीक्षात्मक बैठकों में प्रगति प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है :-

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति,
2. जन घोषणा पत्र के बिन्दुओं पर कार्यवाही,
3. वित्त वर्ष 2019-20 के राज्य एवं संयुक्त निधि बजट मद में स्वीकृत विभिन्न धार्मिक स्थलों/मन्दिरों के जीर्णोद्धार/मरम्मत, विकास एवं निर्माण से संबंधित कार्यों की प्रगति,
4. विभाग की लाभकारी योजना -
   (1) वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना-2019,
   (2) कैलाश मानसरोवर यात्रा/सिन्धु दर्शन योजना
5. मुख्यमंत्री सूचना तंत्र (CMIS) के बिन्दु,
6. लाईटस् ,
7. रिक्त पदों पर भर्ती,
8. माननीय मंत्रीगण/विधायक, सांसद एवं जनप्रतिनिधिगण के पत्रों पर कार्यवाही,
9. फाईल ट्रेकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम की पालना एवं विभाग में चल रहें अन्य महत्वपूर्ण कार्य/ बिन्दु

आदेश से,

Sd/-

(अजय सिंह राठौड)

संयुक्त शासन सचिव

कृ.पृ.उ. ...

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, देवस्थान विभाग
2. आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उपर्युक्त बिन्दुओं के प्रासंगिक, आयुक्तालय एवं संबंधित सहायक, आयुक्त कार्यालयों के स्तर पर की गई कार्यवाही/क्रियान्वित की मासिक समीक्षा कर, प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्रगति से शासन को अवगत कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।
3. शासन उप सचिव/सहायक शासन सचिवगण, देवस्थान विभाग
4. ए.सी.पी. (उप निदेशक), देवस्थान विभाग
5. समस्त प्रकरण लिपिक/सूचना सहायक, देवस्थान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
6. निदेशक, प्रोग्राम मॉनिटरिंग, कार्यालय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर

(कमल मीना 'सादर')
शासन उप सचिव